न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 56/2018 जिला सीकर

भगवानाराम पुत्र तुलछाराम, जाति बलाई, निवासी सेवद बडी, तहसील धोद, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. छोटी देवी पत्नी नन्दलाल
2. राकेश पुत्र नन्दलाल
3. कमल पुत्र नन्दलाल
4. मनोज पत्रु नन्दलाल

जाति बलाई, निवासी सेवद बडी, तहसील धोद, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार धोद, जिला सीकर दिनांक 30.7.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री परसराम चौधरी

निर्णय

दिनांक– 10.4.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार धोद, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.7.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह कि ग्रम सेवद बडी, तहसील धोद, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा किता 81 रकबा 0.90 , खसरा किता 23 रकबा 2.92 एवं खसरा नम्बर 290 रकबा 1.39 की खातेदार मूली बेवा तुलछा राम थी । मूली देवी की मृत्यु के बाद विरासत का नामांतरकरण संख्या 137 पंजीबद्ध गोदनामें के आधार पर नन्दलाल दत्तक पुत्र तुलछाराम के नाम तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 19.12.1994 को तस्दीक किया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 137 की अपील अपीलान्ट भगवानाराम पुत्र तुलछाराम द्वारा जिला कलक्टर सीकर को प्रस्तुत की ,जो निर्णय दिनांक 15.4.2002 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया गया । जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 15.4.2002 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स के पति एवं पुत्र नन्दलाल द्वारा अपील न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर में की गई, जो निर्णय दिनांक 24.7.2003 द्वारा जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 15.4.2002 को निरस्त किया गया । सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 24.7.2002 के खिलाफ अपीलान्ट भगवानाराम द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में

निगरानी प्रस्तुत की जिसमें सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 24.7.2002 खारिज हुआ ओर राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 2.11.2012 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स की रिट पिटीशन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 7.4.2017 से प्रकरण 06 माह की समयावधि में निस्तारित किये जाने के निर्दश के साथ तहसीलदार धोद को रिमाण्ड किया गया ।

प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 7.4.2017 द्वारा तहसीलदार धोद को रिमाण्ड होने पर इसकी अनुपालना में तहसीलदार धोद, जिला सीकर ने उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.7.2018 पारित किया कि ''पूर्व में तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण 137 जिसमें मृतक तुलछाराम की विरासत को विभिन्न न्यायालयों में चुनौतियॉ दिये जाने के फलस्वरूप पारित निर्णयों का आदरपूर्वक पठन किया गया । यहॉ यह भी उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि ग्रम सेवद बडी के नामांतरकरण संख्या 194 दिनांक 1.6.1974 में भगवाना, मुकना व सेवला के स्थान पर सेवला पुत्र तुलछा दर्ज अभिलेख एवं भगवाना का गोद जाना तथा मुकना का कुंवारा फौत होना अंकन दर्ज हुआ तथा अप्रार्थी भगवानाराम द्वारा स्वयं का तुलछाराम का जायन्दा पुत्र तथा ग्रम सेवद बडी का निवासी होना बताया गया है, किन्तु इस संबंध में एक भी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तत नहीं किया गया है । साथ ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी भगवानाराम के वल्दियत संबंधी पेश दस्तावेज से जाहिर होता है कि अप्रार्थी भगवानाराम ग्रम ढाणी चूडोली के श्री चन्दाराम का पुत्र व ग्रम ढाणी चूडोली का स्थायी निवासी है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानुसार यदि अप्रार्थी भगवानाराम स्व. तुलछाराम का जायन्दा पुत्र भी है, तो वह अपने दत्तक पिता की विरासत में ही हक एवं उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है, जिसकी पुष्टि ग्रम ढाणी चूडोली के नामांतरकरण संख्या 15 दिनांक 15.6.1992 के अवलोकन से हाती है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा मान. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटियन संख्या 19197/2012 पारित निर्णयादेश दिनांक 7.4.2017 की पालना में ग्रम सेवद बडी के स्व. तुलछाराम की विरासत का पूर्व में स्वीकृत व दर्जशुदा चरणबद्ध विभिन्न नामांतरकरणों द्वारा स्व. नन्दलाल दत्तक पुत्र तुलछाराम के पक्ष में विवादित रहे नामांतरकरण संख्या 137 द्वारा राजस्व अभिलेखों में अकन को सही व विधिसम्मत मानता है'' ।

दि॰
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार धोद, जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.7.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट भगवानाराम पुत्र तुलछाराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं नामांतरकरण संख्या 137 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार ने जिला कलक्टर सीकर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय देने में गम्भीर भूल की है । जिला कलक्टर ने निर्णय दिनांक 15.4.2002 में नामांतरकरण संख्या 87 दिनांक 21.5.65 के आधार पर जॉच की बात कही है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने कायम रखा है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड तलब कर जॉच करनी चाहिये थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कोई रिकार्ड तलब नहीं किया । अपीलान्ट को जो खातेदारी विरासत प्राप्त हुई उसे न तो मूली देवी ने न मुकना ने और न ही सेवला ने चुनौती दी है । उनका कहना था कि अपीलान्ट के वर्ष 1965 में गोद जाना किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं होता । उनका कहना था कि नन्दलाल को तुलछाराम ने व मूली देवी ने गोद नहीं लिया । गोदनामें से वर्ष 1975 ई. में गोद की बात कही है जबकि 1975 में स्वयं भगवानाराम जिन्दा था । ऐसी स्थिति में गोद हो ही नहीं सकता तथा गोद कब व किसके सामने लिया, गोदनामें पर नन्दलाल की मॉ के हस्ताक्षर नहीं है तथा गोदनामें पर जिन गवाहों के हस्ताक्षर है उनके शपथ पत्र भी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इन पहलुओं पर विचार नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अप्रार्थीगण ने यह कहीं भी साबित नहीं किया कि अपीलान्ट को चन्दाराम ने कब व किसके सामने गोद लिया । केवल मात्र सरपंच की रिपोर्ट, राशन कार्ड्स की रिपोर्ट पर , जो कहीं भी सत्यापित नहीं है , के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट कहीं भी किसी के भी गोद नहीं गया तथा वह सेवड बडी का मूल निवासी है तथा किसी की सेवा करने एवं अपनी रोजी रोटी के लिए या नौकरी हेतु या अन्य कारणों से वह सेवद छोटी में रहने लगा । अपीलान्ट तुलछाराम का पुत्र है जिसके अधिकार कानूनन समाप्त नहीं हो सकते । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार धोद, जिला सीकर प्रकरण के महत्वपूर्ण व कानूनी तथ्यों के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम नामांतरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट्स के पति एवं पिता नन्दलाल के हक में रजिस्टर्ड गोदनामा है ओर रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर मूली बेवा तुलछाराम की विरासत का नामांतरकरण संख्या 137 तहसीलदार सीकर ने दिनांक 19.12.94 को नन्दलाल दत्तक पुत्र तुलछाराम के नाम तस्दीक किया है । उनका कहना था कि रजिस्टर्ड गोदनामा जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता तब तक उसके आधार पर तुलछाराम के दत्तक पुत्र नन्दलाल को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता । मूली बेवा तुलछाराम की विरासत का प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय 7.4.2017 द्वारा तहसीलदार धोद को रिमाण्ड

होने पर तहसीलदार धोद ने पक्षकारों को सुना जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.7.2018 पारित कर भगवानाराम को ग्रम ढाणी चूडोली के श्री चन्दाराम का पुत्र व ग्रम ढाणी चूडोली का स्थायी निवासी होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानुसार यदि अप्रार्थी भगवानाराम स्व. तुलछाराम का जायन्दा पुत्र भी है, तो वह अपने दत्तक पिता की विरासत में ही हक एवं उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है, जिसकी पुष्टि ग्रम ढाणी चूडोली के नामांतरकरण संख्या 15 दिनांक 15.6.1992 से होना मानते हुये तुलछाराम की विरासत का पूर्व में स्वीकृत व दर्जशुदा चरणबद्ध विभिन्न नामांतरकरणों द्वारा स्व. नन्दलाल दत्तक पुत्र तुलछाराम के पक्ष में विवादित रहे नामांतरकरण संख्या 137 द्वारा राजस्व अभिलेखों में अंकन को सही व विधिसम्मत होना माना है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि की खातेदार मूली बेवा तुलछाराम की विरासत के नामांतरकरण का है । मूली बेवा तुलछाराम की विरासत का नामांतकरकरण संख्या 137 रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर रेस्पोंडेन्ट्स के पति एवं पिता नन्दलाल के नाम तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 19.12.94 को तस्दीक किया गया था । प्रकरण में पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चलने के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 7.4.2017 द्वारा प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किये जाने पर तहसीलदार धोद , जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.7.2018 पारित कर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानुसार यदि अप्रर्थी भगवानाराम स्व. तुलछाराम का जायन्दा पुत्र भी है, तो वह अपने दत्तक पिता की विरासत में ही हक एवं उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है, जिसकी पुष्टि ग्रम ढाणी चूडोली के नामांतरकरण संख्या 15 दिनांक 15.6.1992 के अवलोकन से होने पर न्यायालय हाजा मान. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटियन संख्या 19197/2012 पारित निर्णयादेश दिनाक 7.4.2017 की पालना में ग्रम सेवद बडी के स्व. तुलछाराम की विरासत का पूर्व में स्वीकृत व दर्जशुदा चरणबद्ध विभिन्न नामांतरकरणों द्वारा स्व. नन्दलाल दत्तक पुत्र तुलछाराम के पक्ष में विवादित रहे नामांतरकरण संख्या 137 द्वारा राजस्व अभिलेखों में अंकन को सही व विधिसम्मत माना है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में विवादित भूमि की मृतक खातेदार मूली देवी की विरासत का नामांतरकरण संख्या 137 रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर नन्दलाल दत्तक पुत्र तुलछाराम के नाम तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 19.12.1994 को स्वीकृत किया था । चूंकि रजिस्टर्ड गोदनामें को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है । यदि अपीलान्ट के विवादित भूमि में कोई हक हकूक बनते हैं तो वे रजिस्टर्ड गोदनामें को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र

है । नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एकमात्र प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । तहसीलदार सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.1994 मान. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटियन संख्या 19197/2012 में पारित निर्णयादेश दिनाक 7.4.2017 की पालना में पारित कर स्व. तुलछाराम की विरासत का पूर्व में स्वीकृत व दर्जशुदा चरणबद्ध विभिन्न नामांतरकरणों द्वारा स्व. नन्दलाल दत्तक पुत्र तुलछाराम के पक्ष में विवादित रहे नामांतरकरण संख्या 137 द्वारा राजस्व अभिलेखों में अंकन को सही व विधिसम्मत माना है, जिमसें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर